राजस्व वाद 23 / 2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
खींयाराम वगैरह बनाम् तिलोकराम वगैरह

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 330 / 2021

**वादीगण–**

1. खींयाराम पुत्र रामपाल
2. बंजरगलाल पुत्र रामपाल
3. गेनी देवी पत्नी रामपाल **जातियान–जाट निवासीगण– मुन्दियाउ, तहसील–जायल।**

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. तिलोकराम पुत्र मेहराम
2. सुगनीदेवी पत्नी मेहराम
3. गोदावरी पुत्री मेहराम
4. झुमा पुत्री मेहराम
5. रेवन्ती देवी पुत्री मेहराम
6. सुवटी पुत्री मेहराम
7. नथूराम पुत्र छोटी देवी पुत्री मेहराम
8. भींयाराम पुत्र छोटी देवी पुत्री मेहराम
9. सुमन पुत्री छोटी देवी पुत्री मेहराम
10. चेनी देवी पुत्री रामपाल
11. सुरजा पुत्री रामपाल
12. सुमन पुत्री रामपाल
13. मीरा पुत्री रामपाल
    **जातियान–जाट निवासीगण–मुन्दियाउ, तहसील–जायल।**
14. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

**उपस्थिति :–**

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** **दिनांक :** 28/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा मुन्दियाउ ग्राम तहसील जायल में खेत खसरा नं. 3/242 रकबा 4.2421 हैक्टेयर व



28/10/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268, खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त में मौजा मुन्दियाउ के खेत खसरा नंबर 3/242 रकबा 4.2411 हैक्टेयर व मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर पूरा व मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व वादीगण संख्या 1 से 3 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 13 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने दिनांक 18.10.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सुरपालिया में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में कैम्प कोर्ट सुरपालिया में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 14 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह खींयाराम पुत्र रामपाल के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम मुन्दियाउ तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 123 प्रदर्श–1, ग्राम सुरपालिया तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 367 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 14 द्वारा पत्रावली में जरिये



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा मुन्दियाउ एवं सुरपालिया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 3/242 रकबा 4.2411 हैक्टेयर व मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268 की खातेदारी वादीगण एवं मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकराम व मौजा मुन्दियाउ के खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर की सहखातेदारी वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक बंट में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 एवं इस्तदुआ एवं राजीनामा सहमति अनुसार चाही गई है । जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से बंटवाड़े की इच्छा जाहिर की है। अतः मौजा मुन्दियाउ ग्राम तहसील जायल के खेत खसरा नं. 3/242 रकबा 4.2421 हैक्टेयर व खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268, खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

सहखातेदारों के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मुन्दियाउ ग्राम तहसील जायल के खेत खसरा नं. 3/242 रकबा 4.2421 हैक्टेयर व खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268, खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 से 3 कमशः खींयाराम, बजरंगलाल एवं गेनी देवी के कब्जे काश्त में मौजा मुन्दियाउ के खेत खसरा नंबर 3/242 रकबा 4.2411 हैक्टेयर व मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर पूरा व मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 324/509 रकबा 1.6268 हैक्टेयर सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सुरपालिया का खेत खसरा नंबर 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तिलोकराम व सुगनी तथा वादीगण संख्या 1 से 3 खींयाराम, बजरंगलाल, एवं गेनी देवी के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 13 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये उनके हक हिस्सा तक की स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर तहसीलदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



Scanned with CamScanner

## अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,

(कैम्प ग्राम पंचायत सुरपालिया)

बइजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 330.3/2021

वादी –

1. खीयाराम पुत्र रामपाल
2. बजरंगलाल पुत्र रामपाल
3. गेनीदेवी पत्नी रामपाल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तिलोकराम पुत्र मेहराम
2. सुगनीदेवी पत्नी मेहराम
3. गोदावरी पुत्री मेहराम
4. झुमा पुत्री मेहराम
5. रेवंती पुत्री मेहराम
6. सुवटी पुत्री मेहराम
7. नथूराम पुत्र छोटीदेवी पुत्री मेहराम
8. भीयाराम पुत्र छोटीदेवी पुत्री मेहराम
9. सुमन पुत्री छोटीदेवी पुत्री मेहराम
10. चेनीदेवी पुत्री रामपाल
11. सुरजा पुत्री रामपाल
12. सुमन पुत्री रामपाल
13. मीरा पुत्री रामपाल
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका राठौड़ अधिवक्ता वादी
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूवरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा एवं प्रतिवादी संख्या 19 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. मौजा मुन्दियाऊ तहसील जायल के 3/242 रकबा 4.2411 हैक्टेयर व ग्राम सुरपालिया के खसरा नं. 322/508 रकबा 3.1484 हैक्टेयर व खसरा नं. 324/509 रकवा 1.6268 हैक्टेयर वादी संख्या 1 से 3 क्रमश : खींयाराम, बजरंगलाल एवं गेनीदेवी के सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. मौजा सुरपालिया के खसरा नं. 337/510 रकबा 7.4543 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 तिलोकराम के हक बंट व खातेदारी में घोषित किया जाता है।

28/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. मौजा मुन्दियाऊ के खसरा नं. 43/244 रकबा 0.5342 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तिलोकराम सुगनी व वादी संख्या 1 से 3 खींयाराम, बजरंगलाल एवं गेनीदेवी के हक बंट व सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 3 से 13 के हक बंट में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखी गई हैं, इसलिए उनके हक हिस्सा तक की स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड में माफिक आदेश अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

28/10/2021

**(रवीन्द्र कुमार)**
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

**तीज** – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28/10/2021..... को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner